भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोकसभा
तारांकित प्रश्न सं. *231
जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन 1946 (शक) को दिया जाना है

उपकर और अधिभार

***231**. **श्री राव राजेन्द्र सिंह:**
श्री अभिषेक बनर्जी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार के पास 2019 से विभिन्न स्त्रोतों के माध्यम से संग्रहित किए गए विभिन्न प्रकार के उपकर और अधिभार के संबंध में कोई आंकड़े हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) 2014 से संग्रहित की गई राशि (जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को छोड़कर) का वर्षवार और मदवार ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान संग्रहित किए गए ऐसे उपकर और अधिभार के सार्वजनिक हित में किए गए उपयोग का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने उपकर और अधिभार का उपयोग विभिन्न उप-शीर्षों के तहत लगाए जा रहे अन्य प्रकार के करों को प्रतिस्थापित करने या पूरक करने के लिए किया है; और
(ङ) यदि हां, तो ऐसे मामलों या करों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री
(श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

उपकर और अधिभार के संबंध में दिनांक 17 मार्च, 2025 को लोक सभा में श्री राव राजेन्द्र सिंह और श्री अभिषेक बनर्जी द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *231 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): मुख्य करों (जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को छोड़कर) के भाग के रूप में लगाए गए और संग्रहित प्रमुख उपकरों का वर्षवार ब्यौरा अनुलग्नक-'क' में संलग्न है।

(ग): पिछले पांच वर्षों के दौरान उपकर आय (आरक्षित निधि में अंतरित) के उपयोग का विवरण अनुलग्नक- 'ख' में संलग्न है।

(घ) और (ङ): सरकार ने मौजूदा करों को बदलने के लिए उपकर और अधिभार का उपयोग नहीं किया है क्योंकि ये शुल्क विशिष्ट, लक्षित उद्देश्यों के लिए हैं तथा आमतौर पर अस्थायी वित्तपोषण तंत्र के रूप में काम करते हैं। वे जीएसटी और आयकर जैसे व्यापक करों के समान राजस्व या दीर्घकालिक स्थिरता उत्पन्न नहीं करते हैं। उपकर और अधिभार मौजूदा कर संरचना को प्रतिस्थापित करने के बजाय पूरक हैं, जो समग्र कराधान प्रणाली को बाधित किए बिना विशेष परियोजनाओं के लिए धन जुटाने में मदद करते हैं।

*****

अनुलग्नक-क

मुख्य करों के भाग के रूप में लगाए गए और संग्रहित प्रमुख उपकरों का दर्शाने वाला वर्ष-वार विवरण (जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को छोड़कर)

(करोड़ रु. में)

सं .	लेवी का नाम	वास्तविक आंकड़े 2014-15	वास्तविक आंकड़े 2015-16	वास्तविक आंकड़े 2016-17	वास्तविक आंकड़े 2017-18	वास्तविक आंकड़े 2018-19	वास्तविक आंकड़े 2019-20	वास्तविक आंकड़े 2020-21	वास्तविक आंकड़े 2021-22	वास्तविक आंकड़े 2022-23	वास्तविक आंकड़े 2023-24	संशोधित अनुमान 2024-25	बजट अनुमान 2025-26
	परिचालन में उपकर:												
1	कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर								76950.7	74142.0	80923.6	75180.0	80030.0
2	कच्चे तेल पर उपकर	14655.1	14310.7	12618.3	13579.2	17814.2	14062.5	10894.4	19353.8	21497.1	18803.4	17810.0	19330.0
3	निर्यात पर उपकर	1179.1	122.4	177.2	384.6	1690.2	5759.1	9214.6	1457.1	852.4	-3.2	10.0	11.0
4	स्वास्थ्य उपकर							-13.5	31.0	24.0	22.9	30.0	35.0
5	स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर					41177.4	39131.1	35821.6	52732.3	61809.3	71157.0	85300.0	94000.0
6	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क	3732.6	5172.9	6426.2	2938.4	1797.8	2380.4	5098.8	6138.3	7168.3	7812.3	9610.0	10380.0
7	सड़क एवं अवसंरचना उपकर*	25122.0	69540.0	72399.5	83132.3	110847.2	122424.3	235782.6	195987.0	59235.0	44552.5	45250.0	47420.0
क	**कुल योग (1 से 7)**	44688.6	89146.0	91621.3	100034.5	173326.9	183757.5	296798.5	352650.2	224728.2	223268.4	233190.0	251206.0
	संचालन में नहीं आने वाले उपकर												
8	प्राथमिक शिक्षा उपकर	24219.0	18782.7	20219.9	21117.3	97.4	81.5	61.9	15.4	3.2	1.1		
9	माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर	11959.5	9240.4	10028.2	10538.8	34.2	28.0	11.4	2.5	1.5	0.5		
10	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	5393.5	12675.6	26117.3	11463.4	4.9	24.6	0.0	23.9	19.8			
11	कृष कल्याण उपकर			8379.2	4266.8	168.9	40.1	10.6	7.2	6.0	2 .4		
12	स्वच्छ भारत उपकर		4213.9	12475.4	4289.6	216.4	46.6	17.3	9.6	8.0	5.2		
13	बुनियादी ढांचा उपकर			3917.7	903.9	6.4	0.9	-0.1					
14	केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत एकत्रित अन्य उपकर	1693.0	2343.6	4429.9	1397.3	-7.8	21.8	0.7	0.0	0.4	-21.8		
15	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य करों और शुल्कों के अंतर्गत उपकर	1163.6	1167.3	1406.3	380.3	52.1	25.8	23.6	19.2	-141.8	-4.3		
ख	**कुल योग (8 से 15)**	44428.5	48423.5	86973.7	54357.5	572.4	269.3	125.5	77.9	-103.0	-16.9		
	कुल योग (क+ख)	**89117.1**	**137569.4**	**178594.9**	**154392.0**	**173899.3**	**184026.8**	**296924.0**	**352728.1**	**224625.1**	**223251.5**	**233190.0**	**251206.0**
	इन पर लगाया गया अधिभार -												
1	निगम कर	14302.2	17754.1	20109.7	21439.5	25448.6	19053.9	14078.6	15890.0	55103.8	60373.3	60000.0	70000.0
2	निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर	1400.1	1565.2	2299.0	3211.8	4291.7	5236.9	5537.8	7922.9	53914.2	54793.8	76000.0	85000.0
3	फ्रिंज बेनिफिट टैक्स	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	सीमा शुल्क के अंतर्गत सामाजिक कल्याण अधिभार	0.0	0.0	0.0	1221.9	8871.2	8796.1	13447.4	16945.1	16178.8	16273.4	17250.0	17500.0
	कुल योग (1 से 4)	**15702.3**	**19319.3**	**22408.7**	**25873.1**	**38611.5**	**33087.0**	**33064.1**	**40757.9**	**125196.8**	**131440.6**	**153250.0**	**172500.0**
	* इसमें पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क शामिल है, जिसे 'सड़क और अवसंरचना उपकर' लागू होने से पहले 'सड़क उपकर' के रूप में जाना जाता था।												

अनुलग्नक-ख

उपकर आय का उपयोग (आरक्षित निधि में अंतरित)

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	निधि का नाम	इस निधि से वित्तपोषित की जा रही प्रमुख योजनाएं	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 संशोधित अनुमान	2025-26 बजट अनुमान
1	कृषि अवसंरचना और विकास निधि	प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना मॉडिफाइड इन्ट्रेस्ट समवेंशन स्कीम प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम- किसान) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना राष्ट्रीय गंगा योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय विशेष परियोजनाएं नदियों को आपस में जोड़ना प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	...	...	...	...	120714.39	138822.37	117676.85
2	प्रारंभिक शिक्षा कोष	प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम-पोषण) समग्र शिक्षा	26848.35	30168.34	31788.25	38000.00	28400.00	42000.00	47500.00
3	माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष #	समग्र शिक्षा राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना केन्द्रीय विद्यालय संगठन नवोदय विद्यालय समिति केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पीएम उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) योजना राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कौशल भारत कार्यक्रम	14460.25	20561.27	25000.00	14250.00	37833.33	30815.19	37821.26
4	केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि	रेलवे सुरक्षा/निर्माण एनएचएआई में निवेश, सड़क निर्माण कार्य, राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव आदि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	90252.40	182363.47	251738.18	239646.25	47777.66	39777.90	41000.00
5	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि*		2480.00	5820.00	6134.60	8000.49	8801.21	9610.00	10380.00
6	प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि#	आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए फ्लैक्सिबल पूल बुनियादी ढांचे का रखरखाव स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन आयुष्मान भारत- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना	...	20000.00	21498.72	18339.27	13776.63	14383.54	17678.74
7	तेल उद्योग विकास निधि	सामरिक तेल भंडार एलपीजी सब्सिडी स्वदेशी यूरिया के लिए भुगतान स्वदेशी पी एंड के उर्वरकों के लिए भुगतान	...	...	...	...	...	17810.00	19330.00
	कुल योग		134041.00	258913.08	336159.75	318236.01	257303.22	293219.00	291386.85

वर्ष 2022-23 में आरक्षित निधि अर्थात माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष और प्रधान मंत्री स्वस्थ्य सुरक्षा निधि को प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 तक उपयोग संबंधित वर्ष के संशोधित अनुमान (आरई) के अनुसार है।* दोनों निधियों की राशि को एक साथ लिया गया है।